IV 20/2017

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्र[illegible]ADESH AA 251585

Advocate Legal Advisor Distt.-Amethi

श्री रामअभिलाष शुक्ल मेमोरियल ट्रस्ट

स्टाम्प शुल्क–500/– रुपये

मैं धर्मेन्द्र शुक्ला पुत्र श्री रामअभिलाष शुक्ल निवासी ग्राम– कटारी, परगना– गौराजामों, तहसील–गौरीगंज, जनपद–अमेठी का हूँ जिन्हें आगे व्यवस्थापक/न्यासी कहा गया है। व्यवस्थापकों की इच्छा समाज सेवा/धार्मिक/शैक्षिक क्षेत्र व मानव सेवा कार्य करने की है। जिसके लिए व्यवस्थापकों ने यह ट्रस्ट स्थापित करने का निश्चय किया है।

विदित हो कि व्यवस्थापक धनराशि अंकन 11,000/– रुपये का एकमात्र स्वामी व अधिकारी है तथा व्यवस्थापक शिक्षा के लिए कार्य व अन्य कार्य जिनका विवरण आगे दिया गया है के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना करना चाहते है और उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु व्यवस्थापकों ने उक्त राशि अंकन 11000/– रुपये को इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इस उद्देश्य से हस्तान्तरित कर दी है और दे दी है कि न्यासी उक्त राशि को आगे दी गयी शक्तियों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत बतौर न्यासीगण रखेंगे। उक्त ट्रस्ट के नाम पर अभी तक कोई चल–अचल सम्पत्ति नहीं है। उक्त व्यवस्थापकों ने उक्त ट्रस्ट के प्रथम ट्रस्टी होना स्वीकार किया है और इस विलेख का निष्पादन कर रहे है।

अतः व्यवस्थापक एतद्द्वारा इकरार करते है और घोषणा करते है कि–

1. यह कि उक्त ट्रस्ट का नाम श्री रामअभिलाष शुक्ल मेमोरियल ट्रस्ट **(Shri Ram Abhilash Shukla Memorial Trust)** ग्राम कटारी परगना– गौराजामों, तहसील–गौरीगंज, जनपद–अमेठी उ०प्र० है।
2. यह कि उक्त ट्रस्ट का प्रधान कार्यालय ग्राम–कटारी परगना– गौराजामों, तहसील–गौरीगंज, जनपद–अमेठी उ०प्र० होगा व शाखा कार्यालय के सम्बन्ध में अध्यक्ष को अधिकार होगा कि वे उक्त ट्रस्ट का कार्यालय सहमति की दशा में हस्तान्तरित कर सकते है।
3. यह कि ट्रस्टीगण उक्त राशि अंकन 11000/– रुपये जिसे आगे ट्रस्ट फण्ड कहा गया है तथा भविष्य में ट्रस्ट की सम्पत्ति, नकद राशि, गिफ्ट, दान, अनुदान तथा अनुदान से प्राप्त सम्पत्ति सौंपी जाए अथवा चालू राशि जो उक्त ट्रस्टीगण को समय–समय पर प्राप्त हो, को धारण करेंगे तथा उक्त ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति को बतौर ट्रस्टीगण आगे दी गयी शक्तियों तथा कर्तव्यों का प्रयोग व अनुपालन करते हुए धारण करेंगे।

Dharmendra Kumar Shukla

25 धर्मेन्द्र शुक्ला आत्मज श्री राम अभिलाष नि०
500) ठेरूवा कठारी तह० गौरीगंज अमेठी

[illegible]

6-10-2017

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 075362

4 यह है कि ट्रस्टीगण ट्रस्ट फण्ड तथा ट्रस्ट पूँजी तथा अन्य चल व अचल सम्पत्तियों को शिक्षा संवर्धन के मुख्य कार्य तथा अन्य सामाजिक उत्थान के कार्य, औषधालय तथा संस्थाओं व कार्यशालाओं की स्थापना एवं संचालन व व्यवस्था यात्री सेवा व सुविधा आदि के कार्य करने हेतु धारण करेंगे तथा न्यासीगण के समय–समय पर आवश्यकतानुसार न्यास के परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा।

5 यह कि ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए न्यासीगण को समय–समय पर भूमि का ग्रहण, अधिग्रहण सरकारी, गैरसरकारी संस्थाओं व विभागों से कर्ज लेने का पूर्ण अधिकार होगा।

6 यह कि उपरोक्त उद्देश्यों के अतिरिक्त तथा उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ट्रस्टीगण ट्रस्ट के फण्ड तथा आय को तथा उसके समस्त या किसी भाग को नीचे दिये गये उद्देश्यों में से किसी एक या अनेक या समस्त और जितनी मात्रा में चाहे सार्वजनिक रूप से प्रयोग कर सकते है।

<u>ट्रस्ट के उद्देश्यों एवं कार्य–</u>

1. मेडिकल कालेज, डेन्टल कालेज एवं अस्पताल की स्थापना करना व संचालन करना।
2. लॉ कालेज की स्थापना व संचालन करना।
3. इन्जीनियरिंग कालेज की स्थापना व संचालन करना।
4. कम्प्यूटर कोचिंग सेन्टर की स्थापना करना व संचालन करना।
5. बेरोजगार जरूरतमंद व बेसहारा स्त्रियों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना।
6. लड़के व लड़कियों के लिए अलग–अलग व संयुक्त विद्यालय, विश्वविद्यालय व महाविद्यालय व प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना करना व संचालन करना।
7. स्कूल, कालेज, तकनीकी व फार्मा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व संचालन करना, सभी प्रकार के ग्रेजुएशन व पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रशिक्षण तथा प्रबंधन व व्यावसायिक कोर्स हेतु कालेजो की स्थापना करना व संचालन करना।
8. नर्सरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल, राजकीय स्कूल व माध्यमिक स्कूल (हिन्दी व इंग्लिश मीडियम) व अन्य सभी प्रकार के स्कूलों की स्थापना करना व संचालन करना।
9. शिक्षा के प्रचार व प्रसार हेतु सभी प्रयास करना।
10. शैक्षिक किताबों, पेपर (साप्ताहिक, दैनिक समाचार पत्र, मासिक पत्रिका आदि) का प्रकाशन कराना, लाइब्रेरी, रीडिंग रूम तथा हॉस्टल/छात्रावास आदि की स्थापना एवं संचालन करना।
11. सभी प्रकार की फिल्में, टेली फिल्म, फीचर फिल्म आदि का निर्माण कराना।
12. गौशाला, मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि, धर्मशाला, आश्रम, वैश, वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, आध्यात्मिक साधना एवं योगा केन्द्र तथा सभी धर्मों के लिए धार्मिक स्थल बनवाना व उनकी देखभाल करना।

Dharmendra Kumar Shukla

26/50

6-10-2017

न्यास पत्र

प्रतिफल -	11000	स्टाम्प शुल्क-	800	बाजारी मूल्य -	0
पंजीकरण शुल्क -	100	प्रतिलिपिकरण शुल्क -	60	योग :	160

श्री धर्मेन्द्र शुक्ला

पुत्र श्री रामअभिलाष शुक्ल

व्यवसाय : कृषि

निवासी: ग्राम कटारी प0 गौराजामो त0 गौरीगंज जि0 अमेठी

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 10/11/2017 एवं 03:36:15 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्

राकेश कुमार सिंह

उप निबंधक गौरीगंज

अमेठी

निबंधक लिपिक

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

16 SEP 2017

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BF 075250

13 अनु०जाति व अनु० जनजाति व अल्पसंख्यक वर्ग, विकलांगो तथा समाज के सभी वर्गों के जरूरतमन्द छात्र/छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति व सहायता समाज कल्याण विभाग व सरकार से प्राप्त करना जरूरतमन्द छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति व सहायता देना।

14 सरकारी सहायता प्राप्त करना तथा सरकारी मोडल संस्था का बिजनेस प्रमोटर एवं मास्टर फेंचाईजी बनकर उसे बढ़ाने का कार्य करना तथा उक्त ट्रस्ट के द्वारा सरकारी अध्यापकों, कर्मचारियों के कम्प्यूटर प्रशिक्षण देना तथा उन्हें कम्प्यूटर खरीदकर देना एवं सर्विस प्रोवाइड करवाना।

15 समय–समय पर विभिन्न समस्याओं पर जनमानस के विचारों को जानने के लिए प्रपत्र पर प्रारूप तैयार कर उन पर सर्वे कराना।

16 समाज के प्रत्येक वर्ग में एड्स एवं गम्भीर बीमारियों के सम्बन्ध में जागरूकता पैदा करना।

17 गंगा को प्रदूषण मुक्त कराना तथा गंगा सफाई हेतु प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार आदि से सिफारिश करना, जल बचाव सम्बन्धित कार्य करना आम पब्लिक को जल ही जीवन है सम्बन्धित जानकारियां देना।

18 ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भवन निर्माण कराना तथा अन्य निर्माण कार्य आधुनिक एवं लेटेस्ट तकनीक द्वारा करना।

19 अस्पताल, औषधालय, अनुसंधान शालाओं एवं रसायन शालाओं का संचालन एवं स्थापना करना।

20 प्राकृतिक पर्यावरण को स्वच्छ बनाये रखने हेतु कार्य करना। शहरों में पेड़लगाना, जिससे प्रदूषण कम हो। खाली पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण करना ताकि पर्यावरण स्वच्छ रहे और आय के साधन बढ़े और अवैध कब्जे भी न हो पाये।

21 निरीह प्राणियों, पशु एवं पक्षियों की चिकित्सा का प्रबंध करना एवं उनके लिए चिकित्सालयों की स्थापना व व्यवस्था करना।

22 स्कूल व कालेज में छात्र/छात्राओं को पर्यावरण एवं एड्स रोग के लिये जागृत करने हेतु कार्यक्रम चलाना।

23 कृषि भूमि तथा अन्य जमीन जायदाद आदि खरीदना, प्राप्त करना, उन्हें क्रय–विक्रय करना, हस्तान्तरण करना तथा कृषि भूमि पर कृषि कार्य कराना।

24 ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भूमि क्रय करना ट्रस्ट द्वारा क्रय शुदा भूमि पर भवन निर्माण करना तथा अन्य निर्माण कार्य आदि करना।

25 ट्रस्ट की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सभी प्रकार के कार्य व प्रकल्प करना, ट्रस्ट के लिये दान लेना एवं दान की रसीद देना।

26 वह सभी कार्य करना जो समस्त मानव जाति के लिए कल्याणकारी हो।

27 यह कि इस ट्रस्ट द्वारा शिक्षा जगत के विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार/वर्कशाप आयोजित करना।

कार्य क्षेत्र–

यह कि न्यास/ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण 'भारत' होगा।

ट्रस्टीगण के अधिकार एवं कर्तव्य एवं नियुक्ति–

6-10-2017

निष्पादन लेखपत्र बाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू प्रलेखानुसार उक्त

स्वामी:1

श्री धर्मेन्द्र शुक्ला

Dharmendra Kumar Shukla

पुत्र श्री रामअभिलाष शुक्ल

व्यवसाय : कृषि

निवासी : ग्राम कटारी प0 गौराजामों त0 गौरीगंज जि0 अमेठी

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री कार्तिकेय शुक्ल

Kartik

पुत्र श्री धर्मेन्द्र शुक्ला

व्यवसाय : कृषि

निवासी : ग्राम कटारी प0 गौराजामों त0 गौरीगंज जि0 अमेठी वारिदहाल 46ए सांईलोक फेस2जी एम एन रोड देहरादून

पहचानकर्ता : 2

श्री अनिल प्रकाश श्रीवास्तव

पुत्र श्री कृष्ण मुरारीलाल श्रीवास्तव

व्यवसाय : वकालत

निवासी : एडवोकेट त0 गौरीगंज जिला अमेठी

ने की। प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है।

टिप्पणी : प्रथम पक्ष का वोटर कार्ड व गवाहो का आधार कार्ड संलग्न है।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राकेश कुमार सिंह

उप निबंधक : गौरीगंज

अमेठी

निबंधक लिपिक

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

16 DEC 2017 कोषागार-अमेठी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 075371

यह कि न्यासीगण को ट्रस्ट फण्ड की आय व उसके किसी भाग को जितने तथा जिस अवधि तक न्यासीगण उचित समझे उक्त फण्ड की हुई आय को कालान्तर में कभी भी या किसी भी समय ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए व्यय करने का पूर्ण अधिकार अध्यक्ष महोदय की अनुमति से होगा।

यह कि न्यासीगण ट्रस्ट फण्ड या उसके किसी भाग अथवा भागों को किसी भी समय या अवसर पर जैसे कि ट्रस्टीगण उचित समझें उपरोक्त उनके कार्यों में से एक या अधिक पर व्यय कर सकते हैं।

यह कि व्यवस्थापकों/ट्रस्टीयों ने ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने हेतु अपने में से अध्यक्ष व सचिव नियुक्त कर लिया है। अध्यक्ष व सचिव को ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए नये ट्रस्टी बनाने व उनको पद देने का अधिकार होगा। अध्यक्ष व सचिव का कार्यकाल जीवनपर्यन्त होगा।

यह कि उपरोक्त ट्रस्ट के निम्न पदाधिकारी होंगे

1. **अध्यक्ष धर्मेन्द्र शुक्ला पुत्र श्री रामअभिलाष शुक्ला निवासी- कटारी, परगना- गौराजामों, तहसील- गौरीगंज, जनपद- अमेठी** जो ट्रस्ट के प्रथम सचिव होंगे
2. **उपाध्यक्ष (वरिष्ठ) श्रीमती पुष्पा शुक्ला पत्नी धर्मेन्द्र शुक्ला निवासी- कटारी, परगना- गौराजामों, तहसील- गौरीगंज, जनपद- अमेठी।**
3. **उपाध्यक्ष (कनिष्ठ) देवयानी तिवारी पुत्री श्री राकेश कुमार तिवारी निवासी 46-ए साईं लोक कालोनी फेज-2 देहरादून (उत्तराखण्ड)।**
4. **सचिव- श्रीमती सरिता तिवारी पत्नी श्री राकेश कुमार तिवारी निवासी 46-ए साईं लोक कालोनी फेज-2 देहरादून(उत्तराखण्ड)।**
5. **कोषाध्यक्ष- कार्तिकेय शुक्ला पुत्र श्री धर्मेन्द्र शुक्ला निवासी- कटारी, परगना- गौराजामों, तहसील- गौरीगंज, जनपद- अमेठी।**
6. **सदस्य- बृजेश कुमार मिश्र पुत्र श्री रामकुमार मिश्र निवासी बड़ा कुँआ निहालगढ़ तहसील मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।**
7. **सदस्य- रामकुमार मिश्र पुत्र श्री सीताराम मिश्र निवासी बड़ा कुँआ निहालगढ़ तहसील मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।**
8. **सदस्य- प्रखर त्रिपाठी पुत्र श्री धर्मेन्द्र त्रिपाठी निवासी 510/213-4 लाल [illegible] मार्ग न्यू हैदराबाद लखनऊ।**

यह कि ट्रस्ट के उपरोक्त पदाधिकारी अध्यक्ष एवं सचिव का कार्यकाल जीवनपर्यन्त होगा तथा जो व्यवस्थापक ट्रस्टी [illegible] उनके चुनाव के लिए कोई [illegible] अध्यक्ष एवं सचिव का कभी चुनाव नहीं होगा और न ही कोई सदस्य या अन्य व्यक्ति [illegible] उपरोक्त पदाधिकारी अपनी इच्छा से अपने पद से त्याग पत्र दे सकते हैं तथा [illegible] अनुरूप कार्यवाही करेंगे। [illegible] यदि उक्त पदाधिकारियों में से कोई भी पदाधिकारी अपना [illegible] पद से त्याग पत्र देता है तो अध्यक्ष को उसकी जगह नया पदाधिकारी बनाने का अधिकार होगा। यदि कोई व्यक्ति [illegible] ट्रस्ट की सदस्यता से त्याग पत्र देता है और उसे सचिव, अध्यक्ष की सहमति से स्वीकार किया जायेगा। ऐसी दशा में त्याग पत्र देने वाले सदस्य के समस्त अधिकार ट्रस्ट से खत्म हो जायेंगे।

Dharmendra Kumar Shukla

[illegible]

10-11-[illegible]

শিব প্রসাদ [illegible]

[illegible] 09/99

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये | FIFTY RUPEES

रु.50 | Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

BF 075364

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

2. यह कि पदाधिकारियों के निम्न कर्तव्य व दायित्व होंगे:–
अध्यक्ष:– ट्रस्ट की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना, ट्रस्ट की बैठक समय से बुलाने व ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन के अध्यक्ष:– ट्रस्ट की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना, ट्रस्ट के लिए ट्रस्ट के नाम से कानूनी कार्यवाही कराना।
लिए सचिव को निर्देश व सहयोग प्रदान करना ट्रस्ट के लिए ट्रस्ट के नाम से कानूनी कार्यवाही कराना।
उपाध्यक्ष– अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के कार्य करना किन्तु उपाध्यक्ष के द्वारा किये गये कार्यवाही वैध होंगे जिनका अनुमोदन अध्यक्ष एवं सचिव से करा लिया जायेगा।
सचिव– ट्रस्ट की बैठकों में पारित समस्त प्रस्ताव व आदेशों को कार्य रूप में परिणित करना ट्रस्ट के दैनिक कार्यकलाप को सुचारू रूप से संचालित करना। सभी बैठकों के समयानुसार व अध्यक्ष के आदेशानुसार बुलाना तथा सभी बैठकों की कार्यवाही का पूर्ण रूप से विवरण, बैठक कार्यवाही रजिस्टर में लिख अध्यक्ष सत्यापित कराना। अगली बैठक के बुलाने की सूचना के साथ पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि के लिए उसकी नकल सभी ट्रस्टियों को भेजना। ट्रस्ट की समस्त आय व व्यय को सत्यापित कर कोषाध्यक्ष से अनुमोदित कराना। ट्रस्ट की सभी चल व अचल सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण रख उनकी सुरक्षा करना।
कोषाध्यक्ष– अध्यक्ष महोदय की अनुमति से ट्रस्ट की समस्त आय–व्यय का हिसाब रखना व उसकी आडिट कराना। ट्रस्ट की समस्त व्यय जो कि अध्यक्ष व सचिव द्वारा सत्यापित हो उनको अनुमोदित कर भुगतान कराना। ट्रस्ट के खातों का संचालन अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा होगा या अध्यक्ष व सचिव में से किसी एक पदाधिकारी द्वारा भी खातों का संचालन किया जा सकेगा।

3. यह कि ट्रस्ट के सभी महत्वपूर्ण कार्य जैसे–न्यायालय प्रकरण, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित लेन–देन, निर्माण मान्यता, सम्बद्धता आदि आपसी सहमति से अध्यक्ष व सचिव करेंगे। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय अथवा आपातकालीन समस्या के लिए आपातकालीन बैठक अध्यक्ष द्वारा आहूत की जायेगी एवं सचिव अपना आदेश प्रदान करेंगे। यदि किसी विषय पर मतभेद हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष का निर्णय सर्वमान्य होगा।

4. यह कि अध्यक्ष व सचिव समय–समय पर सामाजिक, धार्मिक व पारमार्थिक कार्यों के प्रबन्ध एवं संचालन हेतु अपने विवेक के अनुसार प्रबंध समिति जिसमें वे स्वयं या उनमें से एक या अधिक ट्रस्टी तथा अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को नियुक्त करने का अधिकार होगा एवं ट्रस्टीगण ऐसी प्रबंध समिति तथा उसके कार्यकाल एवं नियम आदि बनाने का तथा ऐसी प्रबंध समिति को सम्बन्धित कार्यों, उद्देश्यों के संचालन व पूर्ति के लिए जो अधिकार ट्रस्टीगण उचित समझे प्रदान करने की शक्ति होगी। साधारणतः ट्रस्ट के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष ही उक्त समस्त प्रबंधक समितियों के क्रमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष होंगे तथा ट्रस्टीगण के आपसी सहमति से इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है।

5. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव को ट्रस्ट तथा उसके उद्देश्यों से सम्बन्धित कार्य हेतु किसी भी एजेन्ट जिसमें बैंक भी शामिल है, को नियुक्त करने तथा उसे धनराशि अदा करने का तथा ट्रस्टीगण मनोनीत करने
होगा। यह कि ट्रस्ट की बैठक साल में कम से कम एक बार अवश्य होगी परन्तु किसी भी ट्रस्टी को 7 दिन पूर्व अन्य ट्रस्टीगण के प्रस्तावित बैठक के विषय की सूचना देकर ट्रस्ट की बैठक बुलाने का अधिकार होगा और ट्रस्ट की बैठक

29 / 50)   ৫।।০ নং 25 নং

২০১৭

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 075365

साधारणतः ट्रस्ट कार्यालय में होगी परन्तु ट्रस्टीगण को अन्य स्थान पर जहां ट्रस्टीगण उचित समझें बुलाने का भी अधिकार होगा।

6 यह कि अध्यक्ष एवं सचिव को ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समय-समय पर व्यक्तिगत, वित्तीय संस्थाओं फर्म बैंक आदि से उधार/ऋण लेने का पूर्ण अधिकार होगा। अध्यक्ष एवं सचिव को ट्रस्ट की सम्पत्तियों/अचल सम्पत्तियों को बंधक रखकर ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए उधार/ऋण/बैंक गारन्टी लेने का पूर्ण अधिकार होगा तथा ट्रस्ट के लाभ के लिए ट्रस्ट की सम्पत्ति को विक्रय करने का अधिकार भी होगा। अध्यक्ष व सचिव को ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए ट्रस्ट की सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों को सभी प्रकार के शेयरों, ऋण पत्रों व अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करने का पूर्ण अधिकार होगा।

7 यह कि अध्यक्ष एवं सचिव ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कहीं भी चल व अचल सम्पत्ति किन्हीं भी शर्तों पर जो ट्रस्टीगण निश्चित करेंगे तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत न हो को प्राप्त करने व धारण करने चाहे पूर्ण स्वामित्व में हो या लीज पर हो या किराये पर हो या क्रय करने या किसी और अन्य तरीके से प्राप्त करने विक्रय करने किराये पर देने, हस्तान्तरण करने तथा अन्य प्रकार से अधिकार त्यागने का पूर्ण अधिकार होगा।

8 यह कि बैठक का कोरम किसी भी समय समस्त ट्रस्टियों की संख्या का 1/3 अथवा किन्हीं तीन ट्रस्टियों का जो भी अधिक हो होगा। यदि कोरम के अभाव में सभा स्थगित की जाती है तो स्थगित बैठक की तिथि समय व स्थान की समस्त ट्रस्टीगणों को डाक/टेलीफोन/ई-मेल द्वारा सूचना प्रेषित करना आवश्यक होगा। स्थगित सभा भी कोरम पूरा किये बिना नहीं हो सकती ट्रस्ट के सभी कार्य महत्वपूर्ण कार्यों में अध्यक्ष व सचिव की सहमति लेनी अनिवार्य होगी।

9 यह कि उक्त व्यवस्थापकों को ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं से अपने तकनीकी कौशल के अनुसार पारिश्रमिक व लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा। उक्त व्यवस्थापकों की मृत्यु के बाद उनकी सन्तान अथवा कानूनी वारिस पारिश्रमिक व लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा और यह सिलसिला आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा।

10 यह कि सभी सम्बन्धित ट्रस्टी व्यक्तिगत रूप से केवल ट्रस्ट हेतु प्राप्त की गयी राशि, सम्पत्ति व प्रतिभूतियों के लिए उत्तरदायी होंगे तथा केवल अपने द्वारा किये गये कार्य प्राप्ति, उपेक्षा अथवा चूक के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे परन्तु अन्य ट्रस्टीगण बैंकर दलाल, एजेन्ट अथवा अन्य व्यक्ति जिनके हाथ में ट्रस्ट की राशि या प्रतिभूतियां आदि रखी गयी है और उनके द्वारा किये गये कार्य निवेश का मूल्य घटने अथवा ट्रस्ट को किसी भी प्रकार की हानि होने पर उनके द्वारा जान-बूझकर की गई चूक अथवा व्यक्तिगत कार्य के कारण न हुआ हो तो ट्रस्टीगण उसके लिए व्यक्तिगत उत्तरदायी नहीं होंगे।

11 यह कि अध्यक्ष एवं सचिव ट्रस्ट के नाम से चालू खाता, सावधि जमा खाता, बचत खाता ओवर ड्राफ्ट खाता व सभी प्रकार के बैंकिंग खाते किसी भी संस्था जो कि बैंकिंग का व्यवसाय करती हो में खोल और रख सकते है। उक्त सभी बैंकिंग एकाउन्ट खातों व अन्य सभी बैंकिंग खातों का संचालन अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा होगा या उक्त पदाधिकारी में से किसी एक पदाधिकारी द्वारा भी खातों का संचालन भी किया जा सकेगा।

Dharmendra Kumar Shukla

30/57 [illegible]

प्रदीप कुमार सिंह

[illegible]

6-10-2017

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

26 SEP 2017

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 075366

12 यह कि अध्यक्ष एवं सचिव को अन्य ट्रस्टी रखने एवं सदस्य तथा उनको हटाने का अधिकार होगा। ट्रस्ट के नाम नियम एवं उद्देश्यों में परिवर्तन करने का अधिकार भी अध्यक्ष व सचिव को होगा। अध्यक्ष एवं सचिव की मृत्यु के बाद उनके बच्चे क्रमशः उक्त ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं सचिव होंगे और यह सिलसिला आगे भी ऐसे चलता रहेगा।

13 यह कि ट्रस्टीगण को उक्त के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा आवश्यक होने पर अन्य व्यक्तियों संस्था अथवा किसी अधिकारी अथवा किसी अन्य के सहयोग से समस्त विधिक कार्य करने का पूर्ण अधिकार होगा।

14 यह कि अध्यक्ष एवं सचिव ट्रस्ट की प्राप्ति व खर्चों का व ट्रस्ट फण्ड एवं सम्पत्तियों का सम्पूर्ण उचित तरीके से बाजाब्ता हिसाब रखेंगे और प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले लेखा/आर्थिक वर्ष का वार्षिक आय-व्यय का लेखा व आर्थिक चिट्ठा बनायेंगे जो कि अध्यक्ष

व सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और इसका आडिट चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जायेगा।

15 यह कि न्यासी/ ट्रस्टी को यह अधिकार होगा कि वह अपना उत्तराधिकारी वसीयत के अनुसार निश्चित कर सके। ट्रस्टी सदस्यों के मरणोपरान्त उस वसीयत के अनुसार ट्रस्टी उस उत्तराधिकारी को ट्रस्ट में सदस्य बनायेंगे। अध्यक्ष एवं सचिव उक्त संस्थापक ट्रस्टी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का ट्रस्ट पर, ट्रस्ट की सम्पत्तियों पर या ट्रस्ट की सदस्यता पर किसी भी प्रकार का अधिकार न होगा। प्रत्येक न्यासी/ ट्रस्टी द्वारा अपने उत्तराधिकारी का नामांकन कराया जायेगा। जो कि उक्त न्यासी/ ट्रस्टी की मृत्यु होने पर या अक्षम अथवा अनुपयुक्त होने पर उक्त न्यासी/ ट्रस्टी तथा नवनियुक्त ट्रस्टी को एतद्द्वारा ट्रस्टी के समान ही कार्य करने का अधिकार एवं दायित्व होगा। यह कि ट्रस्ट फण्ड में सम्मिलित किसी राशि, सम्पत्तियों या आस्तियों या उनके किसी भाग को एक साथ अथवा खण्डों में सार्वजनिक नीलाम अथवा प्राइवेट संविदा द्वारा सशर्त अथवा बिना शर्त विक्रय करना, क्रय करना किसी भी विक्रय की संविदा में परिवर्तन करने अथवा विखण्डित करने का अधिकार होगा और ट्रस्टीगण उसमें हुई किसी हानि के जिम्मेदार नहीं होंगे।

16 यह कि ट्रस्टडीड ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा पंजीकृत की जायेगी।

17 यह कि एतद्द्वारा संस्थापित किया गया ट्रस्ट अप्रतिसंहरणीय होगा, परन्तु यदि किसी कारणवश से ट्रस्टीगण उक्त ट्रस्ट का संचालन करने में असमर्थ होंगे तो ट्रस्ट की सभी सम्पत्तियों, परिसम्पत्तियों को निस्तारण कर ट्रस्ट की सभी देनदारियों का भुगतान करने के पश्चात ट्रस्ट का विघटन कर सकते हैं।

उपरोक्त के साक्ष्य स्वरूप व्यवस्थापक ने अपने हस्ताक्षर किये।

8052743040

Dharmendra Kumar Shukla

धर्मेन्द्र शुक्ला

अध्यक्ष

Kartik

गवाह-नं0 1. कार्तिकेय शुक्ला पुत्र श्री धर्मेन्द्र शुक्ल निवासी ग्राम-[illegible] तहसील-गौरीगंज जनपद-अमेठी

गवाह नं0 2. अनिल प्रकाश श्रीवास्तव एडवोकेट गौरीगंज अमेठी।

अनिल प्रकाश श्रीवास्तव एडवोकेट गौरीगंज अमेठी।

ता0 – 10-11-17

6-10-2017

आज दिनांक 10/11/2017 को बही संख्या 4

एवं जिल्द संख्या 9 पृष्ठ संख्या 29 से

42 पर क्रमांक 20 रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राकेश कुमार सिंह

उप निबंधक : गौरीगंज

अमेठी

भारत निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION OF INDIA

पहचान पत्र UF/25/122/038315

IDENTITY CARD

निर्वाचक का नाम
Elector's Name: धर्मेन्द्रकुमार Dharmendrakumar

पिता/माता/पति का नाम
Father's/Mother's/Husband's Name: रामअभिलाष Ramabhilash

लिंग Sex: पुरुष Male

1.1.1995 को आयु
Age as on 1.1.1995: 24

पता
म.न. 2499
गांव/मोहल्ला: कटारी
तहसील: गौरीगंज
जिला: सुल्तानपुर

Address
H.No.: 2499
Vill/Mohalla: Katari
Tehsil: Gauriganj
Dist.: Sultanpur

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर की अनुकृति
निर्वाचन क्षेत्र 122-गौरीगंज
Facsimile Signature of
Electoral Registration Officer
for 122-Gauriganj A.C.

स्थान: गौरीगंज
Place: Gauriganj

दिनांक
Date: 01.05.95

इस पत्र का विभिन्न सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत पहचान पत्र के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।
This card can be used as an Identity Card under different Government Programmes

Dharmendra Kushal

भारत सरकार
Government of India
अनिल प्रकाश श्रीवास्तव
Anil Prakash Srivastava
जन्म तिथि / DOB : 22/12/1981
पुरुष / Male

4754 7491 3118

ार - आम आदमी का अधिकार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता:
S/O: कृष्णा मुरारी लाल श्रीवास्तव, कटरा लालगंज, कटरा लाल गंज, अमेठी, गौरीगंज, उत्तर प्रदेश, 227409

Address:
S/O: Krishna Murari Lal Srivastava, , , katra lalganj, Katra Lal Ganj, Amethi, Gauriganj, Uttar Pradesh, 227409

4754 7491 3118

1947
1800 300 1947
help@uidai.gov.in
www.uidai.gov.in